HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8958/2026
CNR: RJHC010628992026
URN: CRLMB / 19451U / 2026

Aayush Sharma S/o Shri Ganesh Sharma, Aged About 22 Years, R/o Makan No.213 Uit Quarter Shobhawato Ki Dhani Police Station Choupasni Housing Board, Jodhpur (At Present Lodged In Central Jail Jodhpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Public Prosecutor

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Dharmendra Singh Gaur
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

16/07/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**, पुलिस थाना **शास्त्रीनगर,** जिला **जोधपुर सिटी पश्चिम** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **91/2026,** अपराध अन्तर्गत धारा **115(2), 126(2), 109(1), 118(1) व 3(5) भारतीय न्याय संहिता** के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में सह–अभियुक्त विष्णु की जमानत दिनांक 29.06.2026 को सेशन न्यायालय द्वारा ली जा चुकी है और सह–अभियुक्त वीरेन्द्र सोलंकी की जमानत इस न्यायालय द्वारा 02.07.2026 को ली जा चुकी है। इस आदेश में कुनाल द्वारा चाकू से ताबड़तोड़ वार करने का आरोप लगाए जाने का उल्लेख किया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 29.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी–अभियुक्त पर आहत को पकड़ने तथा सह–अभियुक्त कुनाल द्वारा चाकू से मारने का आरोप है। इस मामले में चाकू की चोटें कुनाल द्वारा कारित की जाना बताते हुए प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 02.07.2026 के मुताबिक चाकू से चोटें कुनाल द्वारा कारित किया जाना बताया गया है। इस मामले में अनुसंधान पूर्ण होकर नतीजा आने तथा बाद नतीजा विचारण में समय लगने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए तथा सह–अभियुक्त की जमानत हो जाने की स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **आयुष शर्मा पुत्र गणेश शर्मा** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

49/Divyashri Maru/677